तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनियशियल्स जज अपील संख्या 54/17 प्रहलाद बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
23.8.2022	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उपस्थित नहीं। जी0ए0 उपस्थित। वकील अपीलान्ट को बार बार आवाजें दिलवायी गई किन्तु वे बाबजूद सूचना नियत दिनांक को उपस्थित नहीं आये। तहत पत्रावली शामिल फायल है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। यह प्रकरण वर्ष 2008 अर्थात लगभग 14 साल से विचाराधीन है। प्रकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट अथवा उनके वकील के द्वारा समय–समय पर न्यायिक प्रक्रियाओं की पूर्ति नहीं किये जाने के कारण यह अपील अकारण लम्बित रही है। प्रकरण में अपीलान्ट संख्या–6 विज्जो फौत हो चुका है जिस पर दिनांक 16.6.2010 से आज दिनांक तक बहस समाअत नहीं की गई है ना ही उनकी विधिवत तलबी हेतु वकील अपीलान्ट की ओर से कोई मुनासिब कार्यवाही अमल में लायी गई है। दिनांक 29.3.2019 को वकील अपीलान्ट द्वारा संशोधित शीर्षक पेश किया गया है जिसमें रैस्पो0 संख्या 2 व 3 को भी मृत दिखाते हुये उनके वारिसानों का अंकन कर दिया है जबकि मृतक पक्षकार की तत्समय न्यायालय में सूचना/का0मु0 को रिकार्ड पर लेने हेतु प्रार्थना पत्र (ओ0 22 रूल्स 3, 4) पेश किया जाना चाहिऐ था जो वकील अपीलान्ट द्वारा आज दिनांक तक पेश नहीं किया गया है। का0मु0 को जारी सम्मन क्रमांक 346/8.6.2022 की पुस्त पर अंकित रिपोर्ट से अवगत हुआ है कि मृत रैस्पो0–2 बुद्धो के का0मु0 2/1 रूपसिंह भी फौत हो चुका है । इसके अलावा यह अपील इसी प्रकार लापरवाही के चलते दिनांक 15.3.2011 को एक बार अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज भी हो चुकी है। जो दिनांक 7.4.2017 को पुनः नम्बर पर ली गई है। अपीलान्ट की ओर से उपर्युक्तानुसार समय पर कोई कार्यवाही न किया जाना उनकी ओर से प्रकरण को आगे न चलाये जाने की दिलचस्पी को जाहिर करता है। जबकि प्रचलित नियमों के अंतर्गत वाद को सिद्ध करने /नियमानुसार न्यायिक प्रक्रियाओं की पूर्ति किये जाने का पूर्णरूपेण दायित्व प्रार्थी/अपीलान्ट का ही रहता है। अपीलान्ट को लगातार ताकीद किये जाने के उपरान्त भी अपीलान्ट की ओर से पेश की जाने वाली उपर्युक्त न्यायिक प्रक्रियाओं की पूर्ति के अभाव में प्रकरण काफी अर्से से लम्बित चल रहा है। आज भी बार–बार आवाजे दिवाये जाने के बाबजूद भी वकील अपीलान्ट अथवा स्वयं अपीलान्ट कोई उपस्थित नहीं आये। ऐसी स्थिति में प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी एवं अदम तक्मील में खारिज किया जाता है। 8.2022 संभागीय आयुक्त भरतपुर संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर	

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर